न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **123/2020**
GCMS NO. : **2020/00198**

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

प्रार्थी:

1. पप्पुदेवी पत्नी देवाराम
2. राकेश पुत्र देवाराम
3. सवाई पुत्र देवाराम
4. शंकर पुत्र देवाराम
5. ममता पुत्री देवाराम
   वादीगण संख्या 2 से 4 ना.बा. की कुदरती वलिया माता पप्पुदेवी समस्त जातियान देवासी निवासीगण लितरिया निवासीगण तहसील जैतारण जिला पाली।
6. राजूदेवी पत्नी रूपाराम जाति–देवासी निवासी– बांझाकुड़ी तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

अप्रार्थीगण:

1. जफर मोहम्मद पुत्र इब्राहिम जाति– मुसलमान निवासी– निम्बोल
2. राणा पुत्र शिवनाथ जाति– देवासी निवासी– लितरिया तहसील– जैतारण।
3. भोमा पुत्र शिवनाथ जाति– देवासी निवासी– लितरिया तहसील– जैतारण।
4. उपपंजीयन अधिकार, उपपंजीयक कार्यालय, तहसील–जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:–06.10.2020**

उपस्थित:–

1. श्री सुगनचन्द सतनामी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री कल्याण कुमार व्यास, श्री जस्साराम, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–29/08/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील–जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान एवं गैरसायलान की मय खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 193/8 रकबा 11–04 बीघा आई हुई है। जिसकी नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र में वर्णित जमीन पैतृक भूमि है। शिवनाथ पुत्र हमीरजी के फौत होने के पश्चात उनके जाईन्दा पुत्रों के पक्ष में म्युटेशन भरा गया परन्तु सायलान संख्या 6 राजूदेवी पत्नी शिवनाथ का ना[illegible] रह गया। इसलिये राजूदेवी द्वारा दावे में घोषंणा का वाद प्रस्तुत [illegible]। उक्त भूमि पैरा संख्या एक में वर्णित शिवनाथ के पुत्र मोतीलाल [illegible] जफर मोहम्मद को अपने हिस्से को बैचान कर दिया गया इसलिये खाते[illegible] में नाम होने से [illegible]कार बनाया गया है। अन्य सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज परन्तु सायलान संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

6 राजूदेवी अपने हक एवं अधिकार से महरूम है जबकि सायलान अपनी पैतृक एवं पिता शिवनाथ की सम्पति में कानूनी अधिकार रखने से उक्त प्रार्थनापत्र पेश कर रही है। उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा गैरसायलान उक्त भूमि का बेचान कर सायलान पप्पुदेवी के हक एवं अधिकारों का हनन करना चाहते है। सायलान पप्पुदेवी एक विधवा है और उनके 4 नाबालिग बच्चे है उक्त भूमि की एकमात्र खाने कमाने का जरिया है। बंटवाड़ा नहीं होने से मनमर्जी अनुसार गैरसायलान जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक है। गैरसायलान संख्या 4 उपपंजीयन अधिकारी है जिनको बैचान दस्तावेज का पंजीयन नहीं करनें के लिये रोका जाना या अवगत कराना आवश्यक होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थनापत्र पेश करनें से 80(2) सीपीसी का 2 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है परन्तु समय अभाव वाद की आवश्यक प्रवृति को देखते हुए बिना नोटिस दिये ही प्रार्थनापत्र पेश करनें की श्रीमान् की सेवामें 80(2) का प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है जो प्रार्थनापत्र का एक अभिन्न अंग है। गैरसायलान द्वारा सायलान को उनकी जमीन से बेदखल करनें व बैचान करने की बार बार धमकियां दी गई जिससे व्यथित होकर सायलान ने जमाबन्दी की नकले दिनांक 29.08.2020 प्राप्त की तथा तत्पश्चात भी लगातार एलानिया भरी धमकिया देने से बेदखल करनें, जमीन खुर्द बुर्द करके परिवर्तन कर बुवाई करके जमीन हड़पनें एवं सायलान को फंसाकर कब्जा करनें व बैचान करनें की धमकिया देने से गैरसायल के वि☺ अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है। सायलान का रिकार्डेड खातेदार होने व मौके पर कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला बहुत मजबुत है। यदि एक रिकार्डेड खातेदार को उनके कब्जे एवं काश्त में गैरसायलान द्वारा दखलांदाजी की गई तो सायलान द्वारा खर्चा लगाकर उपजाऊपन बनाई गई जमीन में जो मेहनत व खर्चा किया गया सायलान को क्षति होगी एवं वो क्षति किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं होगी। गैरसायलान द्वारा सायलान के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार दखलान्दाजी की गई या अन्य पक्ष को बेचान कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया था उनके उपजाऊपन के बनाने की मेहनत पर पानी फेरा गया तो सायलान को कठिनाई व असुविधा होगी इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। अतः श्रीमान् की सेवामें तमाम तथ्यों, परिस्थितियों एवं रिकार्डेड खातेदार होने एवं कब्जे काश्त होने तथा समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के एवं दस्तावेजात् के, सायलान के पक्ष में तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व क्षतिपूर्ति मामला पक्ष में होनें से प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान को वाद के निस्तारण तक ... बैचान, बक्सीस, रहन, वसीयत एवं दखलन्दाजी करनें से ... की रोका जावें एवं गैरसायलान के नौकर चालन हाली ... भी अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द करने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:32:59 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 व 2 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 के तमाम गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। शिवनाथ ने अपने जीवन काल में ही अपने चारों पुत्र मोतीलाल, राणा, भोमा व देवाराम को अपना अपना हिस्सा बांटकर दे दिया था। शिवनाथ ने अपने जीवन काल में ही राजूदेवी की शादी कर सोना चांदी जेवरात देकर सम्पन्न परिवार में विवाह कर दिया तथा विवाह के समय बतौर जायदाद हक हिस्सा सोना चांदी जेवरात देकर विदा कर दिया तब से वह राजूदेवी अपने ससूराल में ही निवास कर रही है। राजूदेवी के पुत्र पुत्रियों का विवाह में मायरा इत्यादि भरा गया तथा राजूदेवी की पुत्रीयों का विवाह गैरसायल संख्या 3 ने राजूदेवी की पुत्रियां पप्पुदेवी व श्रवणी का विवाह किया तथा विवाह का सम्पूर्ण खर्च वहन किया और राजूदेवी का प्रार्थनापत्र ग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा भार नहीं है। मिटेशन क्रमांक 216 पर तोड़ा गया हैं। जो मिटेशन सत्य है। मिटेशन संख्या 216 के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिये प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। प्रार्थनापत्र में पद संख्या 4 के तमाम कथन गलत व असत्य होने से अस्वीकार हैं। मोतीलाल द्वारा जफर मोहम्मद को 1/4 हिस्सा बेचान किया गया। उक्त बेचाने को प्रार्थनापत्र में चैलेन्ज नहीं किया गया और न वक्त बेचान के सम्बध में कोई अनुतोष की मांग की है तथा न ही मोतीलाल द्वारा उक्त बेचान पंजीयन करवाया गया उसका किसी समक्ष न्यायालय में पंजीयन निरस्त करनें का वाद किया हो ऐसा उक्त प्रार्थनापत्र में कन्हीं उल्लेख नहीं किया गया। इसलिये राजूदेवी किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करनें की अधिकारी नहीं है। सायलान ने सायलान व गैर सायलान के हिस्सा होने नहीं बताया गया है। इसलिये प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र में पद संख्या 5 के तमाम कथन गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र समय सीमा से बहार हैं। इसलिये राजूदेवी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें की अधिकारी नहीं है। मौके पर वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी 1 से 3 अपने हक हिस्से अनुसार वर्तमान में कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रार्थनापत्र में पद संख्या 6 के तमाम कथन गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि मोतीलाल व देवाराम ने अपने पिता शिवनाथ के [illegible] होने के बाद 13.06.1988 को 16000/- रूपये उधार [illegible] जमीन बादरराम के पास गिरवी रख दी थी। उक्त जमीन [illegible] गैरसायल संख्या 3 भोमाराम ने बादरराम का 16000/- व उनक ब्याज सहित हिसाब करके गिरवी से छुड़ाया गया था। आज तक मोतीलाल व देवाराम तथा देवाराम के उत्तराधिकारी में से किसी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:32:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

भी गैरसायल भोमाराम को उक्त रूपये मय ब्याज नहीं दिया गया। जब गैरसायल संख्या 3 ने अपने उक्त रूपये की मांग की गई तो सायल ने आपस में योजना बना कर कानून का गलत तरीके से फायदा उठाकर गैरसायल संख्या 3 भोमाराम के रूपये हड़प करनें की नियत से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया। अतः सायल पप्पुदेवी के पति ने अपना हिस्सा गिरवी रखकर अपने उत्तराधिकारियों के अधिकार पूर्व में ही समाप्त कर दिया था। इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थनापत्र का बिन्दु संख्या 7 कानूनन है। प्रार्थनापत्र का पद संख्या 8 असत्य एवं गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र में पद संख्या 9 कानूनन है लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र में वादी द्वारा प्रेषित बंटवारा तथा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की अलग अलग कोर्ट फीस कितनी कितनी लगाई का अंकन किया गया। इसलिये उक्त वाद उचित कोर्ट फीस के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित होने से खारिज किया जाने की कृपा करावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

__(01) *प्रथम दृष्ट्या मामला :–*__ वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा, बन्टवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 193/4 रकबा 11–04 बीघा शिवनाथ पुत्र हमीर जी की खातेदारी भूमि थी। जिनके फौत होने पर केवल उनके जायंदा पुत्रों के पक्ष में भरा गया. लेकिन जाइंदा पुत्री प्रार्थीगण संख्या 6 राजूदेवी का नाम नहीं भरा गया। प्रार्थीगण संख्या 6 राजूदेवी द्वारा अपने हक हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा है। शिवनाथ के पुत्र मोतीलाल द्वारा जफर मोहम्मद को अपना हिस्सा बैचान कर दिया है, अन्य सहखातेदार भी बैचान पर आमादा है, क्योंकि प्रार्थीया राजूदेवी मृतक खातेदार शिवनाथ की जाइंदा पुत्री है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र का खण्डन करते हुये कथन किया है कि शिवनाथ ने अपने जीवनकाल में ही राजूदेवी की शादी कर सोना चांदी एवं जेवरात देकर सम्पन्न परिवार में विवाह कर दिया था तथा राजूदेवी ससुराल में निवास कर रही है। अतः प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं होने से प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:32:59 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान् के कथनों [illegible] दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मृतक खातेदार शिवनाथ की खातेदारी [illegible] तथा शिवनाथ की मृत्यु उपरांत नामान्तरण कार्यवाही के दौरान केवल चार पुत्रों का ही नाम दर्ज किया गया, पुत्री राजूदेवी का नाम दर्ज नही किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

घोषणा का अनुतोष चाहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है साथ ही चुंकि वादग्रस्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के पिता एवं दादा तथा ससुर शिवनाथ की खातेदारी भूमि थी, अतः अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक वारिसान के पक्ष में माना जा सकता है, साथ ही प्रार्थी संख्या 6 राजूदेवी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा यदि वर्तमान भू अभिलेख के आधार पर पक्षकारान् द्वारा उक्त आराजी का हस्तान्तरण कर दिया जाता है, जैसा कि पूर्व में मृतक खातेदार शिवनाथ के पुत्र मोतीलाल द्वारा किया गया है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होने के साथ साथ प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना संभव है। अतः उपर्युक्त भली भांति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निर्ष्कषतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील– जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 193/8 रकबा 11–04 बीघा का वसीयत, बक्शीश, रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/09/2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)